

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-649 / 3-3(5) / 2021-22

दिनांक, 12 नवम्बर, 2021

सेवा में,

समस्त संबंधित वन प्रभाग,
उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/ महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्रों के क्रम में वर्ष 2021-22 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत क्षतिपूरक वनीकरण-अग्रिम मृदा कार्य के लक्ष्यों के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 475/7-1(4) दिनांक 21.09.2021 के क्रम आपके स्तर से प्राप्त प्रकरणवार सूचना के आधार पर निम्न तालिकानुसार कुल 2487.64 हे० के लक्ष्यों को पूर्ण किये जाने के उद्देश्य से ₹0 1664.03 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Division	ASW targets proposed by Divisions for 2021-22 (ha)	Amount (in lakh Rs.)
1	2	3
Almora Forest Division	48.48	43.62
Almora CS Division	80.37	67.34
Bageshwar Forest Division	86.13	73.12
Champawat Forest Division	76.08	57.67
Pithoragarh Forest Division	889.73	294.96*
Tarai East Forest Division	160.00	67.24
Tarai West Forest Division	24.58	10.95
Haldwani Forest Division	157.00	140.00
Badrinath Forest Division	150.29	148.23
Rudraprayag Forest Division	386.00	380.52
Civil Soyam Pauri Forest Division	2.97	3.24
Dehradun Forest Division	85.33	74.75
Haridwar Forest Division	175.20	152.78
Chakrata Forest Division	15.06	12.36
Mussoorie Forest Division	69.90	57.34
Upper Yamuna Forest Division	16.47	13.49
Tons Forest Division	27.00	22.14
Nanda Devi National Park	37.06	44.28
ALL Total	2487.64	1664.03


*उपरोक्त तालिका के अंतर्गत पिथौरागढ़ वन प्रभाग के स्तर पर उनकी मांग के अनुसार आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष, वर्तमान में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर 50: धनराशि अवमुक्त की गई है। प्रभाग को शेष धनराशि शासन से उक्त मद में अवशेष धनराशि प्राप्त होने पर अवमुक्त की जाएगी।

समस्त लक्ष्य 1100 पौध प्रति हे० की दर से पूर्ण किये जायें तथा वन भूमि हस्तांतरण प्रकरण के स्वीकृति आदेश में अंकित निर्धारित स्थल पर ही पूर्ण किये जाएं।

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का कैम्पा के निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में ससमय पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्तें:-

51. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
52. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
53. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
54. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी०पी०आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी०पी०आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी०पी०आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
55. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
56. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
57. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
58. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
59. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
60. आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
61. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
62. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
63. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
64. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
65. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
66. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
67. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
68. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
69. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
70. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
71. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।

- भवदीय,

(जे० एस० मुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

9. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
10. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
11. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
12. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल तथा कुमाऊं जोन को सूचनार्थ प्रेषित।
13. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं, पश्चिमी, गढ़वाल, शिवालिक, यमुना वृत्त तथा निदेशक, नंदादेवी बायोस्फीयर रिजर्व, जोशीमठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे० एस० सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कौम्पा